



children with special needs are having high support needs and could not reach their school without support. To provide support to these children there should be provision of escort allowance for their escort."

## 2. पात्रता :-

➤ Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक-बालिकाएं जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुँच पाने में असमर्थ है, अर्थात् इन्हें घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक इनके अभिभावक द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन बच्चों के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है।

➤ अयधि :- 10 माह

➤ राशि :- ₹ 400/-प्रति माह

## 3. एस्कॉर्ट भत्ता हेतु बच्चों का चयन -

➤ एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2019 में जिले के समस्त ब्लॉक के पीईईओ/सीबीईओ के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

➤ प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	-	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	-	सदस्य सचिव
3.	समावेशित शिक्षा प्रभारी.	-	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	-	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (समावेशित शिक्षा)	-	सदस्य

➤ उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बच्चों का चयन कर एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंसा करेगी।

➤ समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक-बालिकाओं हेतु 5 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान किया जाना है।
अगस्त 2019	जुलाई, अगस्त, सितम्बर अक्टूबर, नवम्बर (5 माह)
नवम्बर, 2019	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल (5 माह)


- एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समृद्ध कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक-बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन बच्चों को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को अग्रदत्त लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशित शिक्षा के उपमद " Escort Allowance" में आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

**विशेष बिन्दु :-**

1. जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभिन्न विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सके।
2. जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक-बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु *Re-appropriation* के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अदिलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएंगे।
3. एस्कॉर्ट भत्ता मद में जिलों को आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
4. एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक-बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
5. नवीन पात्र CWSN बालक-बालिकाओं के जीरो बैलेंस खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बन्धित बालक-बालिकाओं के बैंक खाते में

एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीवीईओ तथा सीवीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।


6. प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक-बालिकाओं के चयन व परिवहन व्यवस्था के आदेश के साथ ही एसएमसी/एसडीएमसी को देनी होगी।
7. समस्त व्यवस्था पात्र बालक-बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी को सूचना देकर पारदर्शी तरीके से कराई जायेगी।
8. बालक-बालिकाओं/अभिभावकों की मांग पर एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एक ही रास्ते से आने वाले बच्चों के लिए एस्कॉर्ट हेतु स्थानीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।
9. सामूहिक परिवहन व्यवस्था मितव्यता के साथ की जायें जिससे कि अधिकाधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके।
10. सामूहिक परिवहन व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान बच्चों के अभिभावकों द्वारा ही किया जायेगा।
11. परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
12. पात्र CWSN बालक-बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक-बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला आषान भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।

  
(डॉ. एन. के. गुप्ता)  
राज्य परियोजना निदेशक  
दिनांक : 29/8/19

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19-20/ S305

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

  
29/8/19  
(हरभाण मीणा)  
अति० राज्य परियोजना निदेशक